न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 पूजा सक्सेना (आरएएस)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 32 / 2013

रामप्यारी बाई पत्नि शिवप्रकाश जाति मीणा निवासी महुवा तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीया

♠ बनाम ♠

1. कुंज बिहारी पुत्र दीपानाथ जाति नाथ
2. दुर्गाशंकर पुत्र दीपानाथ जाति नाथ
3. रामगोप पुत्र नारायण जाति मेहर
4. मूलचन्द पुत्र नारायण जाति मेहर
5. भैरूलाल पुत्र मोरपाल जाति गुर्जर
6. सुरेश पुत्र माधोलाल जाति सेहर
7. बाबूलाल पुत्र नैनगीलाल जाति गुर्जर
8. भागचन्द पुत्र नैनगीलाल जाति गुर्जर
9. प्रभुलाल पुत्र नैनगीलाल जाति गुर्जर

निवासीगण मूण्डला तह0 मांगरोल

10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

वकील वादीया : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील प्रतिवादीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 18.04.2013 निर्णय दिनांक : 18.02.2020

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खसरा नं0 465 / 696 रकबा 0.50 है0 व खसरा नं0 519 / 625 रकबा 0.09 है0, वाके माल मूण्डला की आराजी क्रय की थी। आराजी खरीदने के बाद इन्तकाल नं0 255 दिनांक 05.07.2012 से वादीया के खाते में दर्ज की गयी। प्रतिवादीगण, वादिया से रंजिश रखते है तथा उसके कब्जे काश्त की आराजी का खुर्द–बुर्द करने पर आमादा रहते है तथा काश्त नही करने देते है। प्रतिवादी नं0 6 व प्रतिवादी नं0 4 ने बलपूर्वक वादीया के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी पर एक कमरे का निर्माण करवा लिया है। जबकि उनको उक्त निर्माण करवाने का कोई अधिकार नही है। वादीया अपने हिस्से की आराजी का प्रतिवादीगण से कब्जा लेने की अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 19.03.2013 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादीगण ने वादीया से कहा कि हम तेरी आराजी पर कब्जा करके रहेंगे तेरी इच्छा हो जो कर लेना। अतः प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 3 तथा 5, 7 ता 9 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीया के कब्जे की आराजी खसरा नं0 465 / 696 रकबा 0.50 है0 व खसरा नं0 519 / 625 रकबा 0.09 है0, वाके माल मूण्डला में जबरन दखल अंदाजी ना करें तथा बल पूर्वक प्रवेश ना करें उक्त कार्य ना तो स्वयं करने और ना ही अपने

प्रतिनिधि से करावें तथा प्रतिवादी क्रम 4 व 6 को वादीया की आराजी में निर्मित कमरे से बेदखल किया जाकर वादीया की आराजी का कब्जा संभलावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 18.04.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बुद्धि प्रकाश मालव ने वकालत नामा प्रस्तुत किया लेकिन आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया है और ना ही जवाब पेश करना चाहते है अतः जवाब दावा बन्द किया। वकील वादिया द्वारा दिनांक 15.01.2020 को न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादिया को अपने खाते की विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवा दिया जावें तथा सीमाज्ञान के माध्यम से उक्त प्रकरण का निस्तारण कर आराजी वादिया को संभला दी जावें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 18.02.2020 को बहस उभयपक्षीय सुनी गयी। बहस में उभयपक्षीय पक्षकारान द्वारा उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र तथा दिनांक 15.01.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है। अतः मुताबिक वाद पत्र, साक्ष्य, सुनी गयी बहस की रोशनी में वाद वादीया स्वीकार किया जाता है एवं वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया की खाते की आराजी खसरा नं0 465/696 रकबा 0.50 है0 व खसरा नं0 519/625 रकबा 0.09 है0, वाके माल मूण्डला में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना तो स्वयं करें और नही अपने प्रतिनिधि से करावें। वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि वादीया को उसके खाते की आराजी खसरा नम्बर 465/696 रकबा 0.50 है0 व खसरा नं0 519/625 रकबा 0.09 है0, वाके माल मूण्डला का सीमाज्ञान उसकी उपस्थिति में करवाया जावें। अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल